पत्रांकः–07 / परि0–16–58 / 2026 2042

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग।

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

कुमार निशांत विवेक, *भा0प्र0से0*
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 10/07/26

विषय :– शिक्षकों को आवास भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–1447 दिनांक 22.12.2022 ।

महाशय,

आप अवगत है कि वित्त विभाग के संकल्प सं0–6485 / वि०, दिनांक 18.06.2024 द्वारा राज्य कर्मियों के लिए मकान किराया भत्ता का अद्यतन दर दिनांक 01.01.2024 से प्रभावी है। इसके तहत वर्ग–"Y" श्रेणी का शहर, जो पटना (यू० ए०) है, के लिए मकान किराया भत्ता का दर मूल वेतन का 20% है। वर्ग–"Z" श्रेणी का शहर, जिसमें राज्य के 34 नामित शहर है, के लिए मकान किराया भत्ता का दर मूल वेतन का 10% है। इसके अलावा अवर्गीकृत शहरों के लिए मकान किराया भत्ता का दर मूल वेतन का 7.5% एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए मकान किराया भत्ता का दर मूल वेतन का 5% निर्धारित किया गया है। इस प्रकार वर्ग Y, वर्ग Z, अवर्गीकृत शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्र श्रेणी में अवस्थित सभी विद्यालयों में पदस्थापित कर्मियों को उक्त निर्धारित दर से मकान किराया भत्ता देय हैं।

इस क्रम में, बिहार राज्य कर्मचारी (मकान किराया भत्ता) नियमावली 1980 के नियम–4 (ख) (ii) अवलोकनीय है, जिसमें यह प्रावधानित है कि "यदि किसी सरकारी सेवक का कार्यस्थल किसी अर्हक नगर के समीप हो, किन्तु अनिवार्यतः उसे नगर में रहना पड़ता हो, तो उसे उस नगर के लिए अनुमान्य मकान किराया भत्ता दिया जा सकेगा। इस खण्ड के अधीन इस भत्ता की स्वीकृति हेतु प्रशासी विभाग अपने अधीनस्थ कर्मियों के मामले में प्राधिकृत हैं, परन्तु, उनकी सन्तुष्टि हो जाए कि– (1) कार्य–स्थल एवं अर्हक नगर के नगरपालिका सीमा की परिधि के बीच की दूरी 8 किलोमीटर से अधिक नहीं है और (2) सम्बद्ध कर्मी को अनिवार्यतः अर्थात् कार्य–स्थल के नजदीक आवास की कमी के कारण, अर्हक नगर में रहना पड़ रहा है।" इस प्रावधान का उक्त नियम के टिप्पणी–1 में यह स्पष्ट किया गया है कि नियम–4 (ख) (ii) केवल उन्हीं स्थानों में लागू होंगे जो वर्गीकृत नगरों के नगरपालिका सीमा के 8 KM के अंतर्गत हो, किन्तु किसी नगर के शहरी समूह के अन्तर्गत न हो। अंकनीय है कि उक्त 8 KM की दूरी का प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग हैं।

उक्त प्रावधान को लागू करने हेतु प्रासंगिक पत्र निर्गत किया गया। इसके तथ्य विभागीय पत्रांक 1150 दिनांक 26.04.1986 में वर्णित शर्त्तों को यथावत् रखते हुए वित्त विभाग

द्वारा घोषित अर्हक शहर के शहरी सीमा के 08 KM की परिधि में अवस्थित विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रकार शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों (जिन्हें मकान किराया भत्ता देय है) को मकान किराया भत्ता स्वीकृत करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित की गयी। इस प्रावधान के तहत शिक्षक वार/शिक्षकेत्तरवार देयता का निर्धारण किया जाना अपेक्षित होगा।

समीक्षा के क्रम में यह दृष्टिगत हुआ कि बिहार राज्य कर्मचारी (मकान किराया भत्ता) नियमावली, 1980 के नियम–4 (ख) (ii) के अन्तर्गत अवर्गीकृत शहरों की सीमा के 08 KM की परिधि में अवस्थित विद्यालयों को भी मकान किराया भत्ता वर्द्धित दर से दिया जा रहा है। यह उक्त नियम के विरूद्ध है।

अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रावधान सिर्फ और सिर्फ वर्गीकृत शहरों के संदर्भ में लागू हो और यदि कोई त्रुटि हो तो उसे दूर करते हुए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, जिले में अवस्थित सभी विद्यालयों को उनके भौतिक स्थल को ध्यान में रख कर उन्हें वर्ग–Y श्रेणी अथवा वर्ग–Z श्रेणी अथवा अवर्गीकृत शहरों की श्रेणी अथवा ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में चिन्हित करते हुए उसे विभागीय पोर्टल पर अपडेट कराना सुनिश्चित करेगें।

विश्वासभाजन

(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।